

(1)

57-5

[Published in Part I of the "Madhya Pradesh Rajpatra", dated the 14th August 1964.]

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
FOREST DEPARTMENT;

Bhopal, the 13th May 1964.

No. 5725-4184-X.- In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of section 3 of the Madhya Pradesh National Parks Act, 1955 (No. VII of 1955), the State Government hereby extends the limits of the Kanha National Park by 65.40 square kilometers towards north.

The total area of the Kanha National Park will now be 318.44 square kilometers with boundaries as defined below:—

North—A 12 meters wide northern and eastern boundary line of the Sondher Forest village, then Chaprinala running east, then Madan nala, then line running over a ridge forming southern and eastern boundary of the compartment 650, then Jhiosa Khodri running north-east, then Sulkamnadi running south, then Nigha nala running north-east, then Gorari Jhori and Ambainala running south-east over the ridge forming eastern boundary of the compartment 676, then 12 meters wide external fire line running east forming southern boundary of Kisli Bhilwani forest village and Bhimpuri Raiyatwari village.

East—A 12 meters wide external boundary line of block No. 15 excluding the village lands of Jhapul forest village (Block No. 13) and of Manoharpur, thence the district boundary line between Mandla and Balaghat districts.

South—A continuation of the district boundary line, between Mandla and Balaghat districts.

West—A continuation of the district boundary line between Mandla and Balaghat districts, thence the 12 meters wide eastern and northern boundary line of the Indri forest village, then the Changor nala for a distance of 1 kilometer and 86 meter then the external fire line forming the eastern boundary of Khatia village, then a 12 meters wide internal fire line for distance of 2 kilometer and 51 meters, then the tributary of Burbarinala running east for a distance of 6 hectometer thence the tributary of Mala nadi running north and then the Mala nadi running north.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,

B. R. MANDAL, Secy.

(2)

२३१८

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक १६ दिसम्बर १९७०

बालाघाट जिला में—

अरन्डिया ग्राम की दक्षिणी सीमा, तत्पश्चात् कुगांव, रामपुर, खजरा एवं कोमो ग्रामों की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् खुरसीपार ग्राम की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा.

दक्षिण—बालाघाट जिला में—

उत्तर बालाघाट वन मंडल के आरक्षित वन कम्पार्टमेंट नं. १११, ६८ एवं ६९ की पश्चिमी सीमा तत्पश्चात् समनापुर ग्राम की पश्चिमी सीमा एवं भीमलाट ग्राम की उत्तरी सीमा, तत्पश्चात् बजर नदी, तत्पश्चात् खापा व मालखडी ग्रामों की पूर्वी सीमा, तत्पश्चात् मालखडी, मोहगांव, काटेगांव एवं भिलवानी ग्रामों की उत्तरी सीमा.

पश्चिम—बालाघाट जिला में—

उत्तर बालाघाट वन मंडल के आरक्षित कम्पार्टमेंट नं. १ की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् आरक्षित कम्पार्टमेंट नं. १ और झूलूप ग्राम की सीमा से जाती हुई रेखा, तत्पश्चात् झूलूप ग्राम की पूर्वी सीमा.

मंडला जिला में—

मंडला व बालाघाट जिलों की सीमा रेखा, तत्पश्चात् एक १२ मीटर चौड़ी रेखा जो इन्द्री वनग्राम की पूर्वी और उत्तरी सीमा बनाती है, तत्पश्चात् १ किलोमीटर व ६ मीटर की दूरी तक घनगौर नाला, तत्पश्चात् वाहरी अग्नि रेखा जो खटिया वनग्राम की पूर्वी सीमा बनाती है, तत्पश्चात् एक १२ मीटर चौड़ी आन्तरिक अग्नि रेखा जो २ किलोमीटर व ५१ मीटर की दूरी तक चलती है, तत्पश्चात् बुरवारी नाले का सहायक नाला जो पूर्व की ओर ६ हेक्टेमीटर तक बहता है, तत्पश्चात् माला नदी की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है, तत्पश्चात् उत्तर की ओर बहती माला नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. दुवे, सचिव.

भोपाल, दिनांक १५ दिसम्बर १९७०.

क. ८६९४-दस (२)-७०.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक ८६९३-दस (२)-७०, दिनांक १५ दिसम्बर १९७० का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. दुवे, सचिव.

Bhopal, the 15th December 1970.

No. 8893-X-II-70.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 3 of the Madhya Pradesh National Parks Act, 1955 (VII of 1955), the State Government hereby adds the reserved forest area of 128.257 square Kilometres in Balaghat Revenue district to the Schedule of the said Act constituting Kanha National Park and defines the boundaries of the said National Park as specified in the Schedule below.

## Schedule

Kanha National Park—Area 446.686 square Kilometres.

North—In Mandla Revenue District—

A 12 metres wide Northern and Eastern boundary line of the Sondhar Forest Village, then Chapihala running East, then Madan nala, then line running over ridge forming Southern and Eastern boundary of the Reserve Forest Compartment No. 650 of South Mandla Forest Division, then Jhiosa Khodri running North-East, then Sulkan nadi running South, then Nigha nala running North-East, then Gorari jhori and Ambai nala running South East, then the ridge forming Eastern boundary of the Reserve Forest Compartment No. 676 of South Mandla Forest Division then 12 metres wide external fire line running East forming Southern boundary of Kislibhilwani Forest village and Bhimpuri Raiyatwari village.

East—In Mandla Revenue District—

A 12 metres wide external boundary line of Block No. 15 of South Mandla Forest Division excluding the village lands of Jhapul Forest village (Block No. 13 of South Mandla Forest Division) and of Manoharpur village, then Southern boundary of Manoharpur village.

In Balaghat Revenue District—

Southern boundary of Arandia village, then Western boundary of Kugaon, Ramepur, Khajra and Komo villages, then Western and Southern boundary of Khursipur village.

South—In Balaghat Revenue District—

Western boundary of Reserve Forest Compartment Nos. 111, 68 and 69 of North Balaghat Forest Division, then North-Western boundary of Samnapur village and Northern boundary of Bhimlot village, then Banjar river, then Eastern boundary of Khapa and Malkheri villages, then Northern boundary of Malkheri, Raon, Parapur, Kategaon and Bhilewani villages.

West—in Balaghat Revenue District—

Western boundary of Reserve Forest Compartment No. 1 of North Balaghat Forest Division, then line running through boundary of Reserve Forest Compartment No. 1 and Jhulup village, then Eastern boundary of Jhulup village.

In Mandla Revenue District—

Boundary line between Mandla and Balaghat Districts, then a 12 metres wide Eastern and Northern boundary line of the Indri Forest Village, then the Ghangoz nala for a distance of 1 Kilometre and 86 metres, then the external fire line forming the Eastern boundary of Khatia village, then a 12 metres wide internal fire line for a distance of 2 Kilometres and 51 metres, then the tributary of Burbari nala running East for a distance of 6 hectometres, thence the tributary of Malanadi running North and then the Malanadi running North.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

B. K. DUBE, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,  
भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—१९७०

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974.

क्र. ४०२१-१६४३-वस-२-७४.—चुकी राज्य धारण का यह विचार है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, नरप्राणी तथा उनके लिये आवश्यक परिस्थिति का संरक्षण करते, उसका विस्तार तथा विकास करने के प्रयोजन के लिये प्राणीजात तथा प्राणी-विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है.

अतएव, वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (93 संघ 1972), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य धारण, एतद्वारा, उक्त क्षेत्रों को अभयारण्य (संघरी) के रूप में घोषित करता है.

अनुसूची

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं में समाविष्ट क्षेत्र:—

जिला—बालाघाट एवं गझरवा.

अभयारण्य—तुपरवार अभयारण्य.

पश्चिम की रेखा—88° 09' 00" पूर्वी रेखा.

सीमा

पूर्व—बालाघाट जिले में छतरपुर वन ग्राम के पास से प्रारंभ होकर, अंतर्जिला सीमा बालाघाट और राजनांदगांव जिलों के बीच होकर उत्तर की ओर जाती हुई और बिलोमपुर-जबलपुर सड़क के सांभ-साथ मजल जिले के भीमडीगरी गांव तक चलती हुई.

उत्तर—ग्राम भीमडीगरी से कटगीदादर से आने वाला नाला और कम्पाटमेंट नम्बर 959 से 961 के बीच कटगीदादर तक उभय सीमा बनाते हुये और उसके बाद कम्पाटमेंट नम्बर 957 और 956 से बीच की उभय सीमा वाला नाला जब तक कि यह बाहीन नाला से मिलता है और फिर बाहीन नाला जब तक कि एक नाला कम्पाटमेंट नम्बर 953 और 955 के बीच सीमा बनाता है और उसके बाद, यह नाला पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुये और टोपला आरक्षित वन खण्ड की सीमा से मिलते हुये और उसके बाद टोपला आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा जब तक कि वह कादला वन ग्राम के पास पश्चिम रासगढ़ खण्ड की आरक्षित वन सीमा से मिलती है उसके बाद पश्चिम रासगढ़ आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा जब तक कि वह बालाघाट जिले में छतरपुर ग्राम के पास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पूर्व सीमा से मिलती है, उसके बाद बालाघाट जिले में बालाघाट ग्राम तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा, उसके बाद विंगा पाहड़ तक बीजर घाटी आरक्षित वन खंड की उत्तरी सीमा, उसके बाद विंगा पाहड़ पर ऊपर की ओर जाती हुई पहाड़ी, फिर विंगा पहाड़ से निकलता हुआ नाला जो कि निरली प्रताप के पास निगमा नामा से मिलता है, और फिर कम्पाटमेंट नम्बर 664, 660 और 661 के तिराहे तक निगमा नाला, फिर कम्पाटमेंट 663 और 664 के बीच की उभय सीमा जब तक कि वह ग्राम मोहगांव के पास तेंदुआ आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा से मिलती है, और उसके बाद तेंदुआ आरक्षित वन खण्ड की सीमा पश्चिम की ओर चालू है जब तक कि वह ग्राम कारीबाहू की पहले वाले भाग से मिलती है, कम्पाटमेंट नम्बर 648 और 660 के बीच उभय-सीमा बनाते हुये, फिर ग्राम कारीबाहू की दक्षिण

सीमा, फिर सुरपन नदी फिर कम्पाटमेंट नम्बर 656 और 657 के बीच उभय सीमा बनाने वाला नाला, उसके बाद खगिरिया वन ग्राम की पूर्वी ओर उत्तरी सीमा और फिर ग्राम बटवार तक कम्पाटमेंट नम्बर 652 की पश्चिम सीमा बनाने वाला नाला.

पश्चिम—ग्राम बटवार की पूर्वी सीमा और फिर बटवार से छपरी ग्राम की पहाड़ी जो कि 630 और 640 के बीच कम्पाटमेंट लाइन बनाती है जब तक कि वह छपरी नाला से मिलती है, फिर छपरी नाला 631 और 643 के बीच कम्पाटमेंट लाइन बनाते हुये उसके विंगावादार पश्चिम उद्यान तक उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई विंगावादार गिरी थलवा फिर 631 और 632 के बीच कम्पाटमेंट लाइन बनाता हुआ विंगा नाला जब तक कि वह ग्राम खटिया गाँव की पास तेंदुआ आरक्षित वन खण्ड की पश्चिम सीमा से मिलती है, उसके बाद खटिया गाँव की पूर्वी सीमा जब तक कि वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की भीमडीगरी सीमा से मिलती है, उसके बाद ग्राम इन्दी तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा चालू उसके बाद वन ग्राम इन्दी की पश्चिमी सीमा बाघपुर नामा से मिलने तक और उसके बाद बालाघाट जिले में झुलप ग्राम तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण—अक्षय ग्राम से मुचकी वन ग्राम तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिण सीमा और उसके बाद ग्राम से होते हुये भोसानघाट आरक्षित वन खंड की दक्षिणी सीमा बनाते हुये नाला, उसके बाद भोसानघाट आरक्षित वन खण्ड की सीमा बनाने वाली कटलाइत भरवा वन ग्राम की उत्तर-पश्चिम सीमा बनाने वाले नाले तक; फिर भोसानघाट गिरी थलवा तक यह नाला चालू, फिर भोसानघाट और पश्चिम रासगढ़ आरक्षित वन खण्ड के बीच की पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई, उभय सीमा जब तक यह वन ग्राम सुखाडी के पास बालाघाट और राजनांदगांव जिलों के बीच अंतर्जिला सीमा से मिलती है और फिर बालाघाट और राजनांदगांव जिलों के बीच अंतर्जिला सीमा पूर्व की ओर चालू बालाघाट जिले में छतरपुर वन ग्राम तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. सी. सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974.

क्र. ४०२३-१६४३-वस-२-७४.—भारत के विभाग के अनुसूच 36 के खण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग के अधिसूचना क्र. ४०२१-१६४३-वस-२-७४, दिनांक 1 नवम्बर 1974 का अंशोत्तरापूर्व राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. सी. सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4021-1643-X-2-74.—Whereas the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate faunal and Zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing Wild Life and its environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby declares the said area to be a sanctuary.

## Schedule

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park :-

District—Balaghat and Mandla.

Name of Sanctuary—Sukhar Sanctuary.

Area—197.72 sq. Kilometer.

East—Starting near Chhatrapur forest village in Balaghat District the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts and continuing along Bilaspur—Jabalpur road till village Bhimdongri in Mandla District.

North—From village Bhimdongri the nala coming down from Katangidadar and forming common boundary between compartment No. 575 and 581 up to Katangidadar, and thereafter a nala going down as common boundary between compartment No. 574 and 576 till it meets Bahin nala and thereafter Bahin nala till a nala forming compartment boundary between 573 and 578, and thereafter this nala running east to west and meeting the Topla Reserved Forest Block boundary and thereafter the northern boundary of Topla Reserved Forest Block till it meets the Reserved Forest boundary of Raigarh West block near forest village Kadla, thereafter the northern boundary of Raigarh West Reserved Forest Block, till it meets the eastern boundary of Kanha National Park near village Churaspur in Balaghat District, thereafter the eastern boundary of Kanha National Park till forest village Bhillwani in Mandla district, thereafter the continuation of the northern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till Linga Pahad, thereafter the ridge running north a top Linga Pahad, then the nala originating in Linga Pahad and meeting Nigga nala near Mili falls, and then Nigga nala till tri-junction of compartment No. 664, 670 and 671, thereafter the common boundary between compartment No. 663 and 664 till it meets the northern boundary of Tendua Reserved Forest Block near village Mohgaon, and thereafter the continuation westwards of the boundary of Tendua Reserved Forest Block till it meets the nala flowing to village Kariwah, forming the common boundary between compartment 659 and 660, thereafter the southern boundary of village Kariwah, then river Surpan, thereafter the nala forming common boundary between compartment 656 and 657, thereafter the eastern and northern boundary of Khamaria forest village, and then the nala forming western boundary of compartment 652 till village Batwar.

West—The eastern boundary of village Batwar and then the foot path Batwar to Chhapri forming compartment line between 630 and 631 till it meets Chhapri nala then Chhapri nala forming compartment line between 631 and 632 till its origin in Lingadadar, then ridge of Lingadadar running north to south, then another nala forming compartment line between 631 and 632, till it meets the southern boundary of Tendua Reserved Forest Block at village Khatla Narangi, thereafter the eastern boundary of village Khatla Narangi till it meets the western boundary of Kanha National Park, thereafter the continuation of the boundary of Kanha National Park till forest village Indri, thereafter the western boundary of forest village Indri till its junction with Bagimar nala and thereafter the continuation of the western boundary of Kanha National Park in Balaghat district till village Jhulup.

South—The southern boundary of Kanha National Park from village Jhulup to forest village Mukki, and thereafter the nala forming southern boundary of Bhaisanghat Reserved Forest Block along village Samnapur, thereafter the cut line forming boundary of the Bhaisanghat Reserved Forest block till the nala forming north-western boundary of Bharda forest village, then continuation of this nala till Bhaisanghat ridge, and thereafter the common boundary running west to east between Bhaisanghat and Raigarh West Reserved Forest Block, till it meets the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon district near

forest village Sukhadi and thereafter the continuation eastwards of the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon districts till forest village Chhatrapur in Balaghat district.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,

R. C. SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974.

क्र. ४०२३-१९४३-वस-२-७४, —बाइल्ल लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९७२ (फ. ५३, सन १९७२), की धारा ३६ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, पतयुद्धा द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में, विनिर्दिष्ट क्षेत्र को आरक्षित हेतु रक्षित स्थान (गेम रिजर्व) के रूप में घोषित करता है।

## अनुसूची

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा सुपरवार अभ्यारण्य (संरक्षणी) के क्षेत्र को अपवर्जित करते हुये नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं में, संरक्षित क्षेत्र:-

जिला—बालाघाट एवं मण्डला

वन्य प्राणी आरक्षित क्षेत्र—मकल गेम रिजर्व

क्षेत्र का रकबा—२७३.७४ व. कि. मी.

## सीमा

पूर्व—बालाघाट जिले में छतरपुर वन से प्रारंभ होकर, अंतर्जिला सीमा बालाघाट और राजनंदगांव जिला के बीच होकर उत्तर की ओर जाती हुई जब तक कि वह जखनपुर-भिलासपुर मार्ग से मिलती है, उसके बाद बालाघाट और मण्डला जिलों के बीच की अंतर्जिला सीमा बालाघाट जिले में भीमडोंगरी ग्राम तक.

उत्तर—ग्राम भीमडोंगरी से प्रारंभ होकर हालोन नदी तक पूर्व रायगढ़ आरक्षित वन खण्ड की पश्चिमी सीमा, उसके बाद ग्राम आलापुरी तक भोलीखापा आरक्षित वन खण्ड की पश्चिमी सीमा फिर पश्चिम रायगढ़ आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा जब तक की वह गोडला नदी द्वारा बालाघाट और मण्डला जिलों के बीच बनाई गयी अंतर्जिला सीमा से मिलती है, और फिर मिलवाजी वन ग्राम तक बंजर घाटी आरक्षित वन खंड की पूर्वी सीमा और उसके बाद भटोला ग्राम तक चौरमा और तन्तूआ आरक्षित वनखंडों के बीच की उभयसीमा और फिर तंदुआ आरक्षित वनखंड की उत्तरी सीमा जब तक की वह राहपुर ग्राम के पास रापण नदी से मिलती है, फिर मलीदापुर आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा जब तक कि वह सभैयाभागपुर वन ग्राम की सीमा से मिलती है, उसके बाद उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हुई फायर लाइन जो कि मलीदापुर आरक्षित वन खण्ड की सीमा से मिलती है और फिर मलीदापुर आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा जब तक कि वह बरोली ग्राम की सीमा से मिलती है, फिर ग्राम कुटवाही, बोदाछापरी, सोटिया, सटियानारपी, से होती हुई मलीदापुर आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा जब तक की वह घांघर नदी से मिलती है, फिर बाघमार नाला तक वन ग्राम लंदरी की पश्चिमी सीमा और उसके बाद ग्राम झुलुप तक बंजरघाटी आरक्षित वन खंड की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण-ग्राम झुलूप से बंजर घाटी आरक्षित वन खंड की दक्षिण सीमा जो कि बालाघाट जिला के ग्राम कालेगांव, मोहगांव, मंसखेड़ी और खापा से होकर जाती है और फिर मक्की वन ग्राम तक बंजर नदी से होकर जाती है और फिर भंरानघाट, आरक्षित वन खंड की दक्षिणी सीमा जब तक कि वह बालाघाट एवं राजनादगांव जिलों के बीच की अंतरजिला सीमा से मिलती है, और फिर बालाघाट जिले से छतरपुर वन ग्राम तक बालाघाट एवं राजनादगांव जिलों के बीच की अंतरजिला सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भार. सी. सुक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974.

क्र. ४०२४-१६४३-दस-२-७४.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसंरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. ४०२३-१६४३-दस-२-७४, दिनांक ३ सितम्बर 1974 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भार. सी. सुक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4023-1643-X-2-74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares the area, specified in the Schedule below to be a game reserve:

#### SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park and Suptkhar sanctuary.

District	Balaghat and Mandla
Name of sanctuary	Malkal Game Reserve
Area	279.74 Sq. Kilo Meter

East—Starting near Chhatarpur forest village in Balaghat district, the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts till it meets Jabalpur-Bilaspur road, thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts until village Bhimdongri in Balaghat district.

North—Starting from village Bhimdongri the western boundary of Raigarh East Reserved Forest block up to Malon river, thereafter the western boundary of Koll-khapa Reserved Forest block until village Bhalapuri, then the northern and western boundaries of Raigarh West Reserved Forest block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts formed by Gondla river, and thereafter the eastern boundary of Banjar Valley Reserved Forest Block up to Bhillwani forest village and thereafter the common boundary between Chouranga and Tendua Reserved Forest Blocks up to village Khatola and then the northern boundary of Tendua Reserved Forest block till it meets Surjan river near village Shahpur, then the northern boundary of Malidadar Reserved Forest block till it meets the boundary of Samaiya Bhagpur forest village, thereafter the fire line running from north-east to south-west meeting the boundary of Malidadar Reserved Forest block, and thereafter again the continuation of the northern boundary of Malidadar Reserved Forest Block, till it meets the boundary of village Aroll, thereafter the western boundary of Malidadar Reserved Forest block running along village Kutwahi, Badachhapri, Sotia, Khutlya Nuraqil till it meets Chhanghar river, thereafter the western boundary of forest village Ludri till Baghmar nala and thereafter the western boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till village Jhulup.

South—From village Jhulup the southern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block in Balaghat district running along villages Kalgaoon, Mchgaon, Malkhedli and Khapa and then along Banjar river till forest village Mukki and thereafter the southern boundary of Bhaishanghat Reserved Forest Block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, and thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, up to forest village Chhatarpur in Balaghat district.

By order and in the name of the Governor of,  
Madhya Pradesh,  
R. G. SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २६ सितम्बर 1974.

क्र. ४७१७-३६४२-दस-२-७४.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. १६, संन. 1927), की धारा ४ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्र. ७०५१, दिनांक २३ दिसम्बर 1971 द्वारा राज्यपाल ने यह घोषणा की थी. उक्त अधिसूचना में उल्लिखित भूमियों को आरक्षित वन बनाने का निश्चय किया गया था और अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एस. जी. रोचलानी, को नियुक्त की थी.

२. चूंकि श्री एस. जी. रोचलानी, स्थानांतरित हो गये हैं, अतएव उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य, उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित भूमियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एम. डी. शर्मा को नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भार. सी. सुक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक ३ अक्टूबर 1974.

क्र. ४७६६-३४०५-दस-२-७४.—वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (क्र. ५३ संन. 1972), की धारा १६ के अंतर्गत अधिकांशों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट के वर्णित क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के लिये अभयारण्य घोषित करता है:—

#### परिशिष्ट

जिला—मंदसौर.

तहसील—मनारा एवं भातपुरा.

वन सण्ड का नाम—रामपुरा गेन पटार.

अभयारण्य का नाम—गांधी सागर.

क्षेत्रफल (हेक्टर में)—२२, ४६५.००.

वर्ग किलोमीटर—२२४.६५०.

#### सीमा

उत्तर—प्रकोष्ठ क्रमांक ५६६, ५६७, ५६८, ५६९,

६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०६,

६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३,

६१४, ६१७, ७१६ व ७२० की बाहरी सीमा जो

कि मध्यप्रदेश की ऊपरी सीमा है तथा राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्यों की मध्य सीमा है.

पूर्व—प्रकोष्ठ क्रमांक ७२०, ७२१, ७२२, ८२०, ८१६

एवं ८१७ की बाहरी सीमा.



बाद किराली एवं वीमडोगरी राजस्व ग्राम की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ७२७ एवं ७२८ की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ७२७ और ७२६ की उत्तरी सीमा जब तक किसली मिलवानी वन ग्राम से मिलती है इसके बाद किसली मिलवानी वन ग्राम की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा जब तक की आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७८ एवं ६७९ की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७८ एवं ६७७ की पूर्वी सीमा जब तक निग्गा नाला से मिलती है, इसके बाद निग्गा नाला जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६४४, ६७० और ६७१ की सीमाओं के त्रिसंगम पर मिलता है इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६६३ एवं ६६४ की उभय सीमा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ और तेन्दूआ आरक्षित वन की उत्तरी सीमा से मोहगांव राजस्व ग्राम के पास मिलती है, इसके बाद तेन्दूआ आरक्षित वन खंड की सीमा पश्चिमी की ओर जब तक कि वह राजस्व ग्राम कारीवाहा से बहने वाला नाला जो आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६५९ एवं ६६० की उभय सीमा बनाता है, से मिलती है, इसके बाद राजस्व ग्राम कारीवाहा की दक्षिण सीमा फिर गरपन नदी, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६५६ और ६५७ की उभय सीमा बनाने वाला नाला फिर वन ग्राम खमरिया की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा फिर आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६५२ की पश्चिमी सीमा बनाने वाला नाला जब तक राजस्व ग्राम बटवार से मिलता है

पश्चिम—राजस्व ग्राम बटवार की पूर्वी सीमा, फिर बटवार के छपरी जाने वाली मण्डण्डों जो कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३० और ६४४ के बीच की सीमा बनाती है जब तक छपरी नाला से मिलती है, इसके बाद छपरी नाला जो कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३१ और ६४३ के बीच की सीमा बनाता है, छपरी नाला के उदगम स्थान लिंगादादर तक इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर जाती लिंगादादर की पर्वत श्रृंखला फिर आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३१ एवं ६३२ की बीच सीमा बनाने वाला दूसरा नाला जब तक आरक्षित वन खंड तेन्दूओं की दक्षिण सीमा से छटिया नारंगी राजस्व ग्राम के पास मिलता है, इसके बाद राजस्व ग्राम छटिया नारंगी की पूर्वी सीमा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६९१ की उत्तरी सीमा से मिलती है और फिर वन कोष्ठ क्रमांक ६९१ की उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर जाती हुई जब तक कि इन्द्री वन ग्राम से मिलती है, इसके बाद इन्द्री वन ग्राम की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा मण्डला एवं बालाघाट जिले की उभय सीमा बनाने वाले वाघमर नाले से मिलती है, राजस्व ग्राम झूलम (बालाघाट जिला) तक, इसके बाद राजस्व ग्राम झूलम और सेरेखा की पूर्वी सीमा परसटोला ग्राम तक

दक्षिण—राजस्व ग्राम परसटोला की मिलवानी कालेगाव, पूरापुर, मोहगांव, मालखंडी की उत्तरी सीमा पूर्व की ओर जाती हुई इसके बाद राजस्व ग्राम

मालखंडी और खापा की पूर्वी सीमा जब तक कि बंजर नदी से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर बंजर नदी वन ग्राम मुक्की तक इसके बाद भैसानघाट आरक्षित वन खंड की दक्षिणी सीमा बनाने वाला नाला जो कि समनापुरा राजस्व ग्राम तक इसके बाद भैसानघाट आरक्षित वन खंड की सीमा बनाने वाली कंट लाइन जब तक कि नाला भारदा वन ग्राम की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाने वाले नाले तक भैसानघाट की पर्वत श्रृंखला तक यही नाला चालू, इसके बाद आरक्षित वन खंड भैसानघाट एवं रायगढ़ पश्चिम के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई उभय सीमा जब तक वह वन ग्राम गरवाई के पास भैसानघाट राजनांदगांव जिले के बीच की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर जाती हुई बालाघाट एवं राजनांदगांव जिलों की अन्तर्जिला सीमा वन ग्राम छतरपुर तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. सेन, उपसचिव

भोपाल, दिनांक २९ सितम्बर १९७६

क्र. १५-१३-७६-दस-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक १५-१३-७६-२-दस, दिनांक २९ सितम्बर १९७६ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. सेन, उपसचिव

Bhopal, the 29th September 1976.

No. 15-13-76-X(2).—Whereas in consideration of the significance of protecting, propagating, and developing wild-life and its environment, the State Government vide Forest Department Notification No. 4021-1643-X-74, dated the 3rd September, 1974, had constituted, the area described in the Schedule to the said notification as Supkhar Sanctuary under Section 16 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); and

Whereas the State Government is aware that the area comprising the said Supkhar Sanctuary has a high potential for development into a rich wildlife area, and that the said Sanctuary together with the Kanha National Park situated contiguous thereto constitute a wildlife tract of rare national significance, and further;

whereas the State Government is convinced that with intensive development under the Project Tiger, the area of the said Sanctuary has registered substantial improvement in the status of wildlife and that being contiguous with the Kanha National Park, the said Sanctuary and the said National Park form integral constituents of a single ecological unit, the preservation of which as a single unit is essential for the continued protection, propagation and development of wildlife and its environment in the tract;

Now, the effect in exercise of the powers conferred by section 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby adds the area of 487.72 square kilometers of the Supkhar Sanctuary to the Kanha National Park, and defines the boundaries of the said National Park, as specified in the Schedule below:—

## SCHEDULE

District	Mandla and Balaghat
Name of National Park	Kanha National Park
Area	939.94 square kilometers

East—Starting near Chhatarpur forest village in Balaghat District the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts and continuing along Bilaspur—Jabalpur road till village Bhindongri in Mandla District.

North—From Village Bhindongri the nala coming down from Katangidadar and forming common boundary between compartment No. 575 and 581 up to Katangidadar, and thereafter a nala going down as common boundary between compartment No. 574 and 576 till it meets Bahin nala and thereafter Bahin nala till a nala forming compartment boundary between 573 and 578 and thereafter this nala running east to west and meeting the Topla Reserved Forest Block boundary and thereafter the northern boundary of Topla Reserved Forest Block till it meets the Reserved Forest boundary of Raigarh West Block near Forest Village Kadhia, thereafter the northern boundary of Raigarh West Forest Block till it meets the inter-district border between Balaghat and Mandla districts near village Manoharpur in Mandla district, thereafter the western and northern boundaries of village Manoharpur till it again meets the inter-district border between Mandla and Balaghat districts, thereafter the inter-district border up to revenue village Kisli in Mandla district, thereafter the southern and western boundary of Kisli and Bhindongri village till it meets common boundary between Reserved Forest Compartment No. 727 and 728, thereafter the northern boundary of Compartment No. 727 and 726 till it meets the eastern boundary of Forest village Kisli-Bhilwani thereafter the eastern and northern boundaries of Kisli-Bhilwani Forest Village till it meets the common boundary between Compartment No. 678 and 679, and thereafter the eastern boundaries of reserved Forest Compartment Nos. 678 and 677 till it meets Nigga nala, thereafter Nigga nala till the trijunction of Compartment Nos. 664, 670, and 671, thereafter the common boundary between compartment Nos. 663 and 664 till it meets the northern boundary of Tendua Reserved Forest Block near village Mohgaon, and thereafter the continuation westwards of the boundary of Tendua Reserved Forest Block till it

meets the nala flowing to village Kariwah, forming the common boundary between compartment Nos. 656 and 660, thereafter the southern boundary of village Kariwah, then river Surpan, thereafter the nala forming common boundary between compartment Nos. 656 and 657, thereafter the eastern and northern boundary of Khamaria forest village and then the nala forming western boundary of compartment No. 652 till village Batwar.

West—The eastern boundary of village Batwar and then the foot path Batwar to Chhapri forming compartment line between 630 and 641 till it meets Chhapri nala then Chhapri nala forming compartment line between 631 and 643 till it meets Lingaladar then ridge of Lingaladar running north to south, then another nala forming compartment line between 631 and 632 till it meets the southern boundary of Tendua Reserved Forest Block at village Khata-Narangi, thereafter the eastern boundary of village Khata-Narangi till it meets the northern boundary of Reserved Forest Compartment No. 691 and thereafter the northern boundary westwards of compartment No. 691 till it meets forest village Indri, thereafter the northern and the western boundaries of forest village Indri till its junction with Baghmat nala forming inter-district border between Mandla and Balaghat districts until revenue village Jhulup in Balaghat district, then eastern boundary of village Jhulup and Sarekha till village Parsatola.

South—Northern boundaries running eastwards of village Parsatola, Bhilwani, Kalgaoon, Parapur, Mohgaon, Maikhedi and thereafter the boundaries of village Maikhedi and Kape till it meets river Barjan, thereafter after river Barjan eastwards up to forest village Mukki, thereafter the nala forming southern boundary of Bhaisanghat Reserved Forest Block along village Samnapur, thereafter the cut line forming boundary of the Bhaisanghat Reserved Forest Block till the nala forming north-western boundary of Bhaisanghat forest village, then continuation of this nala till Bhaisanghat ridge, and thereafter the common boundary running west to east between Balanghat and Raigarh West Reserved Forest Block, till it meets the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon districts near forest village Sukhadi and thereafter the continuation eastwards of the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon districts till forest village Chhatarpur in Balaghat district.

By order and in the name of the Government of  
Madhya Pradesh,  
B. SEN, Dy. Secy.



9

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन  
122 (एम. पी.)

# मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

(1)

क्रमांक 16 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जनवरी 1995—पौष 21, शके 1916

### वन विभाग

#### मंत्रालय वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 1995

क्र. एफ. 14-46-92-ब स-दो—चूंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बढ़ते वन्यप्राणियों को सुरक्षा एवं नैसर्गिक पूरक आवास सुनिश्चित करने साथ ही स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के लाभोन्मुखी पर्यावरणीय परिस्थितिकी विकास कार्यों हेतु, कान्हा नेशनल पार्क के आस पास के प्रतिरोधक कटिबंध (बफरजोन) क्षेत्रों को फील्ड डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टायगर (कान्हा) मण्डला के क्षेत्रीय एकीकृत प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधीन रखना आवश्यक है;

अतः मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16=16476 (2), दिनांक 6 फरवरी 1977 के तहत अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र, प्रोजेक्ट टायगर, कान्हा के अंतर्गत "बफरजोन वन मण्डल" के रूप में घोषित किया जाता है;

परिणाम स्वरूप उक्त प्रोजेक्ट टायगर कान्हा अब "कान्हा टायगर रिजर्व" के नाम से, तथा "फील्ड डायरेक्टर" अब "कंसर्वेटर एवं फील्ड डायरेक्टर" पदनाम से, जाना जाएगा तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं उसके प्रतिरोधक-कटिबंध (बफरजोन) का प्रशासकीय एवं क्षेत्रीय नियंत्रण उनके अधीन रहेगा.

उप वन संरक्षक प्रभारी "बफरजोन वन मण्डल" दो उप वन मण्डलों के प्रभारी सहायक वन संरक्षक होंगे.

उक्त प्रतिरोधक कटिबंध के दो प्रभारी उप-वन संरक्षकों का पद नाम क्रमशः उपसंचालक, (बफर) एवं सहायक संचालक, बिछिया तथा मला जखंडर रहेगा. इन्हें क्रमशः वन मण्डलाधिकारी, उप वन मंडलाधिकारी के समतुल्य घोषित किया जाता है जो फारेस्ट मैनुअल तथा फारेस्ट ऑर्डनेंसियल रूल्स में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार वन मंडलाधिकारियों-उप वन मंडलाधिकारियों को प्रदत्त समस्त प्रशासकीय प्रक्रियाओं एवं वित्तीय शक्तियों का निष्पादन करेंगे. जबकि क्षेत्रीय आदिवासी ग्रामीणों के लाभोन्मुखी पर्यावरणीय परिस्थितिकी विकास कार्यों को वन-क्षेत्रों एवं राजस्व ग्रामों दोनों में उक्त प्रबंध के अंतर्गत हाथ में लिया जावेगा, बफरजोन वन मण्डल के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों का प्रशासकीय नियंत्रण-प्रभार, पूर्व अनुसार राजस्व प्रशासन के अधीन सुचारु रहेगा.

उक्त आदेश के तहत, पश्चिम (सामान्य) मंडला, पूर्व (सामान्य) मण्डला, उत्तर (सामान्य) बालाघाट एवं कवर्धा वन मण्डलों के वन, क्षेत्रों एवं पृथक से मण्डला एवं बालाघाट जिलों के राजस्व क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये केवल "बफरजोन वन मण्डल" का गठन किया गया है.

"कान्हा नेशनल पार्क" जो पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 15-6=76 दस (2), दिनांक 29 सितम्बर 1976 के तहत अधिसूचित किया गया है, यथावत अपरिवर्तनीय रहेगा.

## अनुसूची

चूत का नाम	जिला	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)	उपवनमंडल का नाम	परिक्षेत्र (मुख्यालय)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

काम्हा टायगर रिजर्व	मण्डला	काम्हांनेशनल पार्क (मण्डला)	940	बंजर (असिस्टेंट डाय- रेक्टर बंजर) मुख्यालय किसली	1. किसली (किसली)
---------------------	--------	--------------------------------	-----	--	---------------------

2. काम्हा (काम्हा)

सदैव	बालीघाट	सदैव	सदैव	हूलोन (असिस्टेंट डाय- रेक्टर हूलोन) मुख्यालय-बैहर	1. मुक्की (मुक्की) 2. मैलानघाट (मैलानघाट) 3. सूपखार (सूपखार)
------	---------	------	------	---	--

सदैव	मण्डला	2. काम्हा बफर जोन वनमंडल (मलाजखंड)	1004 (वन एवं राजस्व क्षेत्र)	असिस्टेंट डायरेक्टर (बिछिया)	1. खटिया (खटिया) 2. सिकोरा (सिकोरा)
------	--------	--	------------------------------------	---------------------------------	--

उप वन मंडलों की सीमाओं का विवरण

वन मण्डल की सीमाओं का विवरण

(7)

(8)

उत्तर.—पश्चिम वन मण्डल (सामान्य) एवं पूर्व वन मण्डल (सामान्य) की वनमंडल सीमाएं.

उत्तर.—पश्चिम एवं पूर्व (सामान्य) वनमण्डलों की दक्षिणी सीमा फिर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के गढ़ी परिक्षेत्र (भाग) की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएं फिर मंडला जिले की दक्षिण-पश्चिमी सीमा.

पूर्व.—पूर्व वनमंडल/उत्तर बालाघाट सामान्य वन मंडलों की वन मंडल सीमाएं एवं बालाघाट की जिला सीमा.

पूर्व.—राजनांदगांव जिले की दक्षिण-पश्चिमी सीमा.

दक्षिण.—बालाघाट जिले की जिला सीमा.

दक्षिण.—राजनांदगांव जिले की जिला सीमा फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के गढ़ी परिक्षेत्र (भाग) की दक्षिणी सीमा फिर बंजर नदी.

पश्चिम.—पश्चिम वन मण्डल की पूर्वी वन मण्डल सीमा.

पश्चिम.—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के पूर्व बैहुर-परिक्षेत्र की उत्तर-पश्चिमी सीमा फिर बालाघाट जिले की जिला सीमा फिर पश्चिम मण्डला (सामान्य) वनमण्डल की पूर्वी सीमा.

उत्तर.—बालाघाट जिले की उत्तरी एवं मण्डला जिले की दक्षिणी सीमाएं फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा फिर मण्डला जिले की दक्षिणी जिला लाईन.

पूर्व.—राजनांदगांव जिले की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण.—राजनांदगांव जिले की जिला सीमा फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की उत्तरीय सीमा फिर बंजर नदी.

पश्चिम.—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के पूर्व बैहुर परिक्षेत्र की परिक्षेत्र सीमा फिर बालाघाट मंडला जिले की जिला सीमाएं फिर पूर्व मंडला (सामान्य) वनमंडल की पूर्वी सीमा.

उत्तर.—पश्चिम मण्डला एवं पूर्व मण्डला (सामान्य) वनमंडलों की पुनर्गठित सीमाएं.

उत्तर.—पश्चिम मण्डला एवं पूर्व मण्डला (सामान्य) वनमंडलों की पुनर्गठित सीमाएं.

पूर्व.—फेन नदी.

पूर्व.—फेन नदी फिर कवर्धा (सामान्य) वनमंडल के रेगाखार परिक्षेत्र की सीमा फिर तन्नोर नदी फिर हलीन नदी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांक्षा टायगर रिजर्व	बालाघाट	..	..	..	उ. गढ़ी (गढ़ी)

तद्वैत राजनांदगांव

- 4. चित्तौरी (चित्तौरी)
- 5. समनापुर (मलाजखंड)
- 6. खापा (बंहर)

विभागाध्यक्ष (पर्यावरण) मध्य प्रदेश, भोपाल

विभागाध्यक्ष (पर्यावरण) मध्य प्रदेश, भोपाल

महानगरपालिका (पर्यावरण) विभाग, काठमाडौं

दिनांक 11/1/95

(7)

(8)

दक्षिण.--कान्हा नेशनल पार्क की सीमाएं एवं बालाघाट मण्डला जिलों की जिला सीमाएं.

दक्षिण.--कवर्धा (सामान्य) वनमण्डल के रेंगाखार परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर तन्नौर नदी फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के पूर्व बैहर परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर बैहर-मुक्की-गढ़ी लोक निर्माण विभागीय सड़क

पश्चिम.--बंजर नदी एवं पश्चिम मण्डला (सामान्य) वनमण्डल की पुनर्गठित सीमा.

पश्चिम.--सहायक नदी तन्नौर का अनुसरण करती हुई बंजर नदी फिर पश्चिम मण्डला (सामान्य) वनमण्डल की पुनर्गठित सीमा.

उत्तर.--मण्डला-बालाघाट जिलों की जिला सीमाएं, कान्हा नेशनल पार्क की दक्षिणी सीमाएं फिर मण्डला राजनांदगांव जिलों की जिला सीमाएं.

पूर्व.--फेन नदी, कवर्धा (सामान्य) वनमण्डल के रेंगाखार परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा.

दक्षिण.--उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर तन्नौर नदी फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के पूर्व बैहर परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर बैहर-मुक्की-गढ़ी लोक निर्माण विभागीय सड़क.

पश्चिम.--सहायक नदी तन्नौर का अनुसरण करती हुई बंजर नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. पंवार, उपसचिव.

9/1/81

14

Kanlu NP

FROM : M. T. R. MANDLA

PH: NO. : 07642250950

Mar. 19 2008 12:38PM FI

And Attention: Shree. Shahbaz Ahmed CCF Wildlife MP

आक-अग ३१ पूर्व-अवापनी  
के बिना डाक डाल देने जान  
के लिए अनुमत-अनुमति-पत्र  
क. ओपन-505/इक्यू ७१।



पत्र क्रमांक, मध्य प्रदेश विद्यालय  
122 (पत्र. की)  
मध्य प्रदेश शासन  
विद्यालय

# मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

## प्रतिष्ठान से प्रकाशित

क्रमांक 16 ] मध्य प्रदेश, बुधवार, दिनांक 11 जनवरी 1985-वी. 21; सं. 1816

### वन विभाग मंडालय वृक्ष संभ्रमण

मध्य प्रदेश, दिनांक 10 जनवरी 1985

सं. ए. 14-90-93-न.स.सो-... के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान के वृक्ष संभ्रमणियों की सुरक्षा एवं वैज्ञानिक पुस्तक मायाव सुनिश्चित करने काय ही रणनीति प्राधिकारी प्राप्ति को सामोरे मुझे पर्यावरणीय परिस्थितिकी विकास कार्य हेतु, कागहा नेशनल पार्क के आसपास के प्रतिरोधक कठिनाई (मकरजोन) क्षेत्रों को फोरेस्ट, रीजिस्टर, प्रोजेक्ट टायगर (कागहा), मण्डला के क्षेत्रीय एकीकृत प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधीन रखना आवश्यक है।

उक्त संभ्रमण क्षेत्रों में वन विभाग की मवि वृक्ष संभ्रमण क्रमांक 16416476 (2) दिनांक 6 फरवरी 1975 को तैयार किये गये प्रारंभिक प्रारंभिक योजना, कागहा के क्षेत्र में "मकरजोन वन संभ्रमण" के रूप में घोषित किया जाता है।

परिष्कार संवत् 211 में कागहा टायगर रिजर्व कागहा टायगर रिजर्व के नाम से तथा "फोरेस्ट रीजिस्टर" एवं "कंसर्वेशन एवं फोरेस्ट रीजिस्टर" प्रस्ताव के अन्तर्गत कागहा राष्ट्रीय उद्यान एवं उसके प्रतिरोधक-कठिनाई (मकरजोन) काय प्रशासकीय एवं क्षेत्रीय नियंत्रण अन्तर्गत में रहेगा।

उपरोक्त संशोधन प्रस्ताव "मकरजोन वन संभ्रमण" को उपरोक्त संशोधन प्रस्तावों के अन्तर्गत ही संशोधित करने हेतु।

उक्त प्रतिरोधक कठिनाई क्षेत्रों प्रभारों का वन संभ्रमण को काय नाम प्रस्ताव संशोधन, (बकर) एवं उद्देश्य संज्ञा, विधि काय प्रस्ताव संशोधन है। यह प्रस्ताव वन संभ्रमण अधिकारी, उप वन संभ्रमण अधिकारी के सहसहस्र बोधित किया जाता है जो फोरेस्ट मंत्रालय तथा कागहा कागहा क्षेत्र में निदिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत वन संभ्रमण अधिकारियों- उप वन संभ्रमण अधिकारियों को प्रत्यक्ष सहायकीय प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्य में प्राविष्ट करने के लिए। उक्त क्षेत्रों में प्राधिकारी प्राप्ति को सामोरे मुझे पर्यावरणीय परिस्थितिकी विकास कार्य को वन क्षेत्रों एवं प्रायश्चित्त क्षेत्रों में उक्त प्रबंध के अंतर्गत कार्य में प्रिया प्रावेगा, बकरजोन वन संभ्रमण के अंतर्गत प्राप्ति वादे प्रायश्चित्त प्राप्ति का प्रशासकीय नियंत्रण प्रभार, पूर्व अनुसर राजस्व प्रशासन के अधीन सुचारु रहेगा।

उक्त प्रादेशिक क्षेत्रों, परिषद (प्रशासन) मंडला, पूर्व (साधारण) मंडला, उत्तर (साधारण) साधारण एवं कवर्षी वन संभ्रमणों के वन क्षेत्रों एवं प्रभारों के मण्डला एवं प्रायश्चित्त क्षेत्रों के अन्तर्गत सेवकों को सन्निहित करने हेतु के वन "मकरजोन वन संभ्रमण" का पठन किया गया है।

कागहा नेशनल पार्क के क्षेत्र में "मकरजोन वन संभ्रमण" क्रमांक 16416476 (2) दिनांक 29 दिसम्बर 1975 के तहत मवि घोषित किया गया है, तथा वन संभ्रमण प्रारंभिक रहेगा।

FAX PAGE 1 of 7

32

बन्धनपत्र: सज्जन, दिनांक 1: जनवरी 1995

अनुसूची

पुस्तक का नाम	अभिज्ञा	बन्धनपत्र का नाम (युक्ततापत्र)	संवेदन (बर्ग कि. मी.)	उपकरण संख्या का नाम	परिशील (युक्ततापत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कागहा शायर रिक्टर	बुधबला	कान्हाते शायर पाठे (गणकवा)	840	संवर (बर्गिस्टेड शाय- केटर संवर) सुधायरन किशपी	1. किशपी (किशपी)
-------------------	--------	-------------------------------	-----	--	---------------------

2. कागहा (कान्हा)

दरेंक	बासापाद	दरेंक	दरेंक	हंसीर (बर्गिस्टेड शाय- केटर हंसीर) सुधायरन-बैट	1. मुक्की (मुक्की) 2. सैजानपाठ (सैजानपाठ) 3. सुपवार (सुपवार)
-------	---------	-------	-------	--	--

दरेंक	बासापाद	2. कान्हा संकर जीन बननइल (मलासुधर)	1004 (रन एमं राउस्य संवर)	सुविस्टेड शायरेक्टर (रिछिपा)	1. अदिमा (अदिमा) 2. निकीप (निकीप)
-------	---------	--	---------------------------------	---------------------------------	--

2 of 7

उत्तर प्रदेश की सीमाओं का विवरण

उत्तर प्रदेश की सीमाओं का विवरण

(७)

(८)

उत्तर—पश्चिम मण्डला (सामान्य) एवं पूर्व मण्डल (सामान्य) की वनमंडल सीमाएं।

उत्तर—पश्चिम एवं पूर्व (सामान्य) वनमंडलों की सीमाएं सीमा फिर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के पश्चिम परिक्षेत्र (घाट) की दक्षिण की पूर्व सीमाएं फिर बंगला जिला की दक्षिण-पश्चिमी सीमा।

पूर्व—पूर्व वनमंडल/उत्तर (सामान्य) वनमंडल की वन मंडल सीमाएं पूर्व बालाघाट की जिना सीमा।

पूर्व—राजमंडलांग जिला की दक्षिण-पश्चिमी सीमा।

दक्षिण—बालाघाट जिले की जिना सीमा।

दक्षिण—राजमंडलांग जिले की जिना सीमा फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के पश्चिम परिक्षेत्र (घाट) की दक्षिण सीमा फिर बंगला नदी।

पश्चिम—पश्चिम वन मण्डल की पूर्वी वन मण्डल सीमा।

पश्चिम—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के पूर्व बंगला नदी की उत्तर-पश्चिमी सीमा फिर बालाघाट जिले की जिना सीमा फिर पश्चिम मण्डल (सामान्य) वनमंडल की पूर्वी सीमा।

उत्तर—बालाघाट जिले की उत्तरी एवं पश्चिमी जिने की सीमाएं फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के पश्चिम परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा फिर बंगला जिले की दक्षिणी जिना लाईन।

पूर्व—राजमंडलांग जिले की पश्चिमी सीमा।

दक्षिण—राजमंडलांग जिले की जिना सीमा फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के पश्चिम परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा फिर बंगला नदी।

पश्चिम—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के पूर्व बंगला नदी की पश्चिमी सीमा फिर बालाघाट जिले की जिना सीमा फिर पूर्व मण्डल (सामान्य) वनमंडल की पूर्वी सीमा।

उत्तर—पश्चिम मण्डल एवं पूर्व मण्डल (सामान्य) वनमंडलों की वनमंडल सीमाएं।

उत्तर—पश्चिम मण्डल एवं पूर्व मण्डल (सामान्य) वनमंडलों की पूर्वाभिमुख सीमाएं।

पूर्व—फेन नदी।

पूर्व—फेन नदी फिर बंगला (सामान्य) वनमंडल के पूर्वाभिमुख परिक्षेत्र की सीमा फिर तन्मीर नदी फिर हलोन नदी।

3/17



17

NAME : V. T. R. MAJLA

PHONE NO. 07842158950

DATE: 15/03/98 12:40PM P.M.

32(2)

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 अक्टूबर 1995

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांशी राज्य विभाग	परमार्थ				3. कड़ी (कड़ी)

सदर  
राजमहाराज

- 4. विपरी (विपरी)
- 5. उमनापुर (नलाचक्र)
- 6. भासा (क. र.)

4/7

(18)

मध्य प्रदेश राज्य, दिनांक 11 जनवरी 1995

(7)

32 (2)

(8)

वकिण्ड-कांगड़ा में समल फसल की सीमाएं एवं बालाघाट जिले की जिला सीमाएं,

परिचय-कवर्वा (बांगान्न) बलमंडल के रोजाखार परिक्षेत्र की श्रुतचित्त सीमा फिर उन्नी व मुरी फिर कटोर बांगान्न (बांगान्न) बलमंडल के पूर्व वीडर परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर वीडर-मुरी-जड़ी लोक गिरानि विभागीय अदालत

परिचय-बंजर नदी एवं परिक्षेत्र बलमंडल (बांगान्न) बलमंडल की पुनर्गठित सीमा

परिचय-महापफ नदी लोकांर का अनुसर काण्डौ हुई बंजर नदी किनारे परिक्षेत्र बलमंडल (बांगान्न) बलमंडल की पुनर्गठित सीमा

उत्तर-म खला-बालाघाट जिलों की सीमा, बलमंडल के काली की शक्ति सीमाएं फिर बलमंडल बलमंडल के जिलों की सीमाएं,

पूर्व-कोन नदी, कवर्वा (बांगान्न) बलमंडल के रोजाखार परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा

वकिण्ड-उत्तर बालाघाट (बांगान्न) बलमंडल के मुरी परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा। फलतः नदी फिर उत्तर बालाघाट (बांगान्न) बलमंडल के पूर्व वीडर परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर वीडर-मुरी-जड़ी लोक गिरानि विभागीय अदालत

परिचय-महापफ नदी लोकांर का अनुसर काण्डौ हुई बंजर नदी

मध्य प्रदेश का राज्यपाल को नाथ से दिया अर्थ: 11/1/95

इ. के. वंकाय उच्च न्यायालय

निर्वाचक, मुद्रण तथा लेखन बागडो, मध्य प्रदेश द्वारा भारत के राजीव मुद्रणालय को देना है मूल्य देना प्रत्येक-1995

547

भाग 1 ]

भारत सरकार, दिनांक 21 फरवरी 1995

1137

वन विभाग

सचिवालय, वन्यजन्तु भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1995

शुद्धि-पत्र

क्र. 140-92-वन-2 - वन विभाग की अधिसूचना क्र. 14-10-92-वन-2, दिनांक 10 फरवरी 1995 का "मध्य प्रदेश राजपत्र" (असाधारण) क्रमांक 16, दिनांक 11 फरवरी 1995 के पृष्ठ क्रमांक 31 के पृष्ठ क्रमांक 32 (2) तक प्रकाशित हुई है।

मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 31 पृष्ठ-2 प्रथम आवेदन में कार्य

मध्य प्रदेश राजपत्र वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-61-76-वन-2, दिनांक 26 फरवरी 1977 पढ़ा जाए

मध्य प्रदेश राजपत्र वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16-16-76 (2), दिनांक 6 फरवरी 1977 के स्थान पर

मुक्त पृष्ठ 31 का पृष्ठ-1

उप वन सहायक प्रभारी "बकर जेठ वन भवन" के पश्चात् "तथा" जोड़ कर पढ़ा जाए

तारीख 10-5 प्रथम पत्रिका

उक्त प्रतिरोधक कटिबंध के पश्चात् "प्रभारी उप वन सहायक" जोड़ा जाये

पृष्ठ 31 पृष्ठ-2 (असाधारण)

पुस्तक क्रमांक 15-6-76-वन(2) के स्थान पर

प्रथम आवेदन में कार्य

म. प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-13-76-2-वन पढ़ा जाए

"कानून" विधानतः पार्क जो पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 15-6-76-वन(2) के स्थान पर

पृष्ठ क्रमांक 32 का पृष्ठ-2

प्रथम पत्रिका वाताघाट के सामने कालम नं.-6

कालम 6 के अनुक्रमिक 2 में लिखित (भेजनाघाट) के स्थान पर "गढ़ी" पढ़ा जाए

पृष्ठ क्रमांक 32

-पश्चिम-

(1) कालम नं. 7 के अधीन (नीचा पेश)

पश्चिम वन मंडल के पश्चात् "सामान्य" जोड़कर पढ़ा जाए

-उत्तर- कालम नं. 8 के तहत (पहला पेश) के स्थान पर

-उत्तर-

पश्चिम एवं पूर्व (सामान्य) वन बडलों की दक्षिणी सीमा फिर महला जिले की दक्षिण-पश्चिम सीमा फिर हताघाट (सामान्य) वन मंडल के गढ़ी परियोजना (भाग) की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएं पढ़ा जाए

उत्तर- (पश्चिमी पेश)

-उत्तर-

तीसरी पत्रिका में उल्लेखित "दक्षिणी सीमा फिर महला जिले की" के पश्चात् "दक्षिणी" शब्द को निरुद्ध समझा जाये तथा इसके स्थान पर "दक्षिण-पश्चिमी" शब्दों को जोड़कर पढ़ा जाए

6 07

1138

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 1995

[ भाग ]

पृष्ठ क्र. 32(1) कागज-8 के तहत खसखस घेरा

मध्यप्रदेश राजपत्र-पृष्ठ क्र. 32 (2)

पृष्ठ क्रमांक 32 (3) कागज-8 के तहत (प्रथम पंदा-दक्षिण में)

पृष्ठ क्रमांक 32 (3) कागज-8 के तहत (द्वितीय पंदा-पश्चिम में)

पृष्ठ क्रमांक 32 (3) कागज-7 के तहत (अतिरिक्त पश्चिम में)

द्वितीय पंक्ति में उल्लिखित "किर तन्तार नदी" शब्दों को हटाना और पढ़ा जाए।

भागेव पंक्ति, भाग 1 एवं 2 में उल्लिखित "तदेव राजनागान" के स्थान पर कागज 5 के तहत "असिस्टेंट कमिश्नर, प्रजापत (महाजलपर)" उल्लिखित कर पढ़ा जाए।

भागेव पंक्ति कागज 1 एवं 2 में उल्लिखित "तदेव राजनागान" के स्थान पर, कागज 6 के तहत प्रथम लाइन "4-बिल्डी (बिल्डीजी)" के स्थान पर "4-बिल्डी (बिल्डी)" सुधार कर पढ़ा जाए।

द्वितीय पंक्ति में भाग चौथे शब्द "तन्तार" के स्थान पर "अनुपना" उद्धृत और पढ़ा जाए।

प्रथम पंक्ति के स्थान पर "तन्तार नदी जो बजर नदी का अनुपना करती है" जोड़कर पढ़ा जाए।

प्रथम पंक्ति के स्थान पर "तन्तार नदी जो बजर नदी का अनुपना करती है" पढ़ा जाए।

अधिसूचना के अंत में जोड़ा जाए-

(उपर्युक्त दृष्टांत गत राजनागान मध्यप्रदेश शासन नवन विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई राजनागान अधिसूचना क्रमांक 15-13-76-10 (2), दिनांक 29 फरवरी, 1976 तथा 14-61-76-22(2), दिनांक 26 फरवरी, 1977 में विद्ये गये राजनागान विवरणों के अनुसार है।)

TRUE COPY

Conservator & Field Director,

Koshi Tiger Reserve,  
Mandla-431-661 (M.P.)

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1995

क्रमांक एफ. 30-56-93-दस-3-सूचीकरण-मध्यप्रदेश काक विभाग (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13, सन् 1984) के अंतर्गत अधिसूचना (1) द्वारा प्रदत्त अधिसूचना को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा "मध्यप्रदेश राजनागान (असाधारण)" दिनांक 23 फरवरी, 1994 में प्रकाशित सूचीकरण विभाग की हिल्डी अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-56-93-दस-3, दिनांक 23 फरवरी 1994 में निम्नलिखित सूचीकरण करती है-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)  
क्रमांक एफ. 30-56-93-10-3,  
दिनांक 23 फरवरी, 1994 का पृ. क्र.

अधिसूचना में प्रकाशित भाग

प्राची भाग

(1)	(2)	(3)
126 (1) में कागज (3) के अनुक्रमांक 10, जिला इन्दौर	विल्लोर बुर्	दिल्लोर बुर्
126 (2) में कागज 3 के अनुक्रमांक 11 जिला धार	कानधन विहवाल भाकनी उबतदूना घाट दिल्लोद	कानधन विहवाल भाकनी एकमदुना घाट दिल्लोद

7 of 7

वन विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन

नोयाल, दिनांक 7/1/2008

F 25/135/10/3/2000

क्रमांक ..... इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 14-46-92-दस दो दिनांक 10-01-1995 तथा क्रमांक एफ. 14-46-92-दस-दो दिनांक 04-07-1995 द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बढ़ते वनप्रभागों को सुरक्षा एवं नैसर्गिक पूरक आवास सुनिश्चित करने, साथ ही स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के लामो-मुदी पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय विकास कार्यों हेतु कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिरोधक कटिबंध (बफर जोन) क्षेत्रों को फाल्ड डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टायगर (कान्हा) मण्डला के क्षेत्रीय एकीकृत प्रबंधन एवं नियंत्रण में रखा गया था, तथा उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा इसे प्रोजेक्ट टायगर (कान्हा) के अंतर्गत बफर जोन वन मण्डल के रूप में घोषित करते हुए अधिसूचित किया गया था।

दिनांक 01-11-2000 से छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप बफर जोन वन मण्डल के कवर्धा जिले का क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत होगा, का नियंत्रण पुनर्गठन के पश्चात मध्यप्रदेश राज्य से समाप्त किये जाने के फलस्वरूप बफर जोन वन मण्डल की पुनरीक्षित सीमाएँ अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के फलस्वरूप 'कान्हा राष्ट्रीय उद्यान' कालम 6 के अनुसार विनिर्दिष्ट होंगे।

विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 15-13-76-2-दस दिनांक 28 सितम्बर 1976, 14-61-76-दस-2 दिनांक 28 फरवरी 1977, 14-46-92-दस-दो दिनांक 10 जनवरी 1995 एवं 14-46-92-दस-दो दिनांक 4 जुलाई 1995 उपरोक्तानुसार मात्र सशोधित/पुनरीक्षित रहेंगे तथा पूर्व अधिसूचना के अन्य प्रयोजन यथावत रहेंगे।

अनुसूची

वृत्त का नाम	जिला	वन मण्डल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	उप वन मण्डल का नाम (मुख्यालय)	परिक्षेत्र (मुख्यालय)	उप वन मण्डल की सीमाओं का विवरण	वन मण्डल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
कान्हा टायगर रिजर्व	मण्डला बालाघाट	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मण्डला)	940	1. बजर (किसली) 2. बजर (किसली)	1. किसली (किसली) 2. कान्हा (कान्हा)	उत्तर - बफर जोन वन मण्डल के खटिया परिक्षेत्र एवं सिआँरा परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमाएँ पूर्व - बफर जोन वन मण्डल के गढी परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा दक्षिण - बालाघाट एवं मण्डला जिलों की उन्मय जिला सीमा	उत्तर - ग्राम मनाहरपुरी से, कटगीदावर से आने वाला जाला जो कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 575 व 581 की उन्मय सीमा बनाता है कटगीदावर तक उसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 574 और 578 की उन्मय सीमा वाला जाला जब तक कि यह बहिर्न जाला से मिलता है और फिर बहिर्न जाला तक जब कि यह उसमें आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 573 एवं 578 की उन्मय सीमा वाला जाला मिलता है, तत्पश्चात् यह जाला पूर्व से पश्चिम की ओर टापला आरक्षित वन खण्ड की सीमा तक, उसके टापला आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा जब तक कि वह पश्चिम रायगढ़ आरक्षित वन खण्ड की सीमा से कदला बनग्राम के पास मिलती है, तत्पश्चात् आरक्षित वन खण्ड रायगढ़ पश्चिम की उत्तरी सीमा जय तक कि अंतर्जिला सीमा, बालाघाट और मण्डला जिला से मण्डला जिला के मनाहरपुर राजस्व ग्राम तक, इसके बाद राजस्व ग्राम मनाहरपुर की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमाएँ जब तक कि पुन. अंतर्जिला


				<p>पश्चिम - बकर जॉन वन मण्डल के खापा एवं खटिया परिक्षेत्रों की पूर्वी सीमा</p>	<p>सीमा बाला घाट व मण्डला से मिलती है इसके बाद अंतर्जिला सोना बालाघाट एवं मण्डला जब तक किस्ती राजस्व ग्राम मण्डला जिला से मिलती है इसके बाद किस्ती एवं भीमडोंगरी राजस्व ग्राम कि दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 727 एवं 728 की उभय सीमा से मिलती है इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 727 और 726 की उत्तरी सीमा जब तक किस्ती-मिलवानी वनग्राम से मिलती है इसके बाद किस्ती-मिलवानी वनग्राम की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा जब तक कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 678 एवं 679 की उभय सीमा से मिलती है इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 678 एवं 677 की पूर्वी सीमा जब तक निगा नाला से मिलती है इसके बाद निगा नाला जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 644, 670 और 671 की सीमाओं के त्रिसंगम पर मिलता है इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 663 एवं 664 की उभय सीमा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ और तेंदुआ आरक्षित वन की उत्तरी सीमा से माहागाव राजस्व ग्राम के पास मिलती है इसके बाद तेंदुआ आरक्षित वन खण्ड की सीमा पश्चिम की ओर जब तक कि वह राजस्व ग्राम कारीवाह से बहने वाला नाला जो आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 659 एवं 660 की उभय सीमा बनाता है, से मिलती है इसके बाद राजस्व ग्राम कारीवाह की दक्षिण सीमा फिर सुर्पण नदी, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 656 और 657 की उभय सीमा बनाने वाला नाला फिर वनग्राम खनारिया की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा फिर आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 652 की पश्चिमी सीमा बनाने वाला नाला जब तक राजस्व ग्राम बटवार से मिलता है.</p>
2	हालौन (बहर)			<p>उत्तर - बकर जॉन वन मण्डल के गढी परिक्षेत्र की दक्षिण सीमा (मण्डला एवं बालाघाट जिलों की उभय सीमा)</p>	
3.	मुक्की (मुक्की)			<p>पूर्व - मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की उभय सीमा</p>	
4.	भैसानघाट (गढी)			<p>दक्षिण - मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की उभय सीमा बकर जॉन वन मण्डल के समनारपुर एवं खापा परिक्षेत्र की उभय सीमा</p>	
5.	सूपखार (सूपखार)			<p>पश्चिम - बकर जॉन वन मण्डल के खापा परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा</p>	
				<p>पूर्व - बालाघाट जिले में छतरपुर वनग्राम से ग्राम हांकर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की उभय सीमाओं (मण्डला एवं कवर्धा (पूर्व राजनांदगांव जिला) जिलों की अंतर्जिला सीमाएं) के बीच होकर उत्तर की ओर जाती हुई और बिलासपुर-जयसपुर मार्ग के साथ मण्डला जिले के भीमडोंगरी गांव तक चलती हुई.</p>	
				<p>दक्षिण - राजस्व ग्राम परसाटोला की मिलवानी, कलेगांव, परांपुर, मोहागाव, मालखेड़ी की उत्तरी सीमा पूर्व की ओर जाती हुई इसके बाद राजस्व ग्राम मालखेड़ी और खापा की पूर्वी सीमा जब तक कि बंजर नदी से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर बंजर नदी वनग्राम मुक्की तक इसके बाद भैसानघाट आरक्षित वन खण्ड की दक्षिणी सीमा बनाने वाला नाला जो कि समनारपुर राजस्व ग्राम तक इसके बाद भैसानघाट आरक्षित वन खण्ड की सीमा बनाने वाली कट लाईन जब तक कि नाला मडगांव ग्राम की उत्तरी-पश्चिमी सीमा बनाने वाले नाले तक भैसानघाट की पर्वत श्रंखला तक यही नाला चालू इसके बाद आरक्षित वन खण्ड भैसानघाट एवं रायगाड़ पश्चिम के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई उभय सीमा जब तक वह ग्राम सुरवाई के पास भैसानघाट कवर्धा (पूर्व राजनांदगांव जिला) की बीच की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर जाती हुई मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की अंतरराज्यीय सीमा वनग्राम छतरपुर तक.</p>	
				<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम बटवार की पूर्वी सीमा, फिर बटवार से छपरी जाने तक.</p>	

									वाली पगडण्डो जा कि आरक्षित वन काट क्रमांक 630 और 644 के बीच की सीमा बनाती है जब तक छपरी नाला से मिलती है, इसके बाद छपरी नाला जा कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 631 और 643 के बीच की सीमा बनाता है, छपरी नाला के उदगम स्थान सिगा दावर तक इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर जाती सिगा दावर को पर्वत श्रृंखला फिर आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 631 एवं 632 की बीच सीमा बनाते वाला दूसरा नाला जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 691 की दक्षिण सीमा से छटिया-नारगी राजस्व ग्राम के पास मिलता है, इसके बाद राजस्व ग्राम छटिया-नारगी की पूर्वी सीमा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक 691 की उत्तरी सीमा परियम की ओर जाती हुई जब तक कि इट्टी वनग्राम की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा मण्डला एवं बालाघाट जिले की उभय सीमा बनाने वाले बघमार नाले से मिलती है, राजस्व ग्राम झुलुप (बालाघाट जिला) तक, इसके बाद राजस्व ग्राम झुलुप और संरेखा की पूर्वी सीमा परसाटोला ग्राम तक,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8		
कांहा टायगर रिजर्व	मण्डला बालाघाट	बफर जोन वन मडल, कांहा टायगर रिजर्व (मण्डला)	974 (वन एवं राजस्व क्षेत्र)	1. सिझौरा (मण्डला)	1. छटिया (छटिया) 2. सिझौरा (सिझौरा) 3. गढी (गढी)	उत्तर - वनग्राम किकरा के निकट से जहाँ पर मण्डला-बिल्पी राष्ट्रीय राज मार्ग इस नाले को पार करता है, उसके पश्चात् मण्डला की ओर जाते बाला घाट-बिल्पी राष्ट्रीय राज मार्ग जहाँ पर कि वह राजस्व ग्राम किकरा के निकट, बालाघाट-मण्डला जिलों की अंतर्जिला सीमा से मिलता है, तत्पश्चात् मण्डला-बालाघाट अंतर्जिला सीमा बना कि यह राजस्व ग्राम करंजिया, जिला मण्डला में हात्तान नदी से मिलती है, उसके पश्चात् मण्डला जिले में राजस्व ग्राम करंजिया एवं सिझौरा की उत्तरी सीमाएँ, फिर ग्राम गुनेरा, नेवसा और डुगरियु की दक्षिणी सीमाएँ, उसके उपरान्त राजस्व ग्राम मांझीपुर, सरही, कटनी, टकटौआ, मोहगांव एवं मवाला की उत्तरी सीमाएँ, फिर राजस्व ग्राम कटनी और घोंट की दक्षिणी सीमाएँ, तत्पश्चात् राजस्व ग्राम मगधा की उत्तरी एवं पश्चिम सीमाएँ जहाँ पर कि यह सुलकुम (सुपुण) नदी में मिलती है, फिर सुलकुम (सुपुण) नदी के अनुदिश उसके नाला नाले के साथ संगम तक, उसके पश्चात् माला नाला जहाँ पर कि यह वनग्राम समैया-नागपुर की उत्तरी सीमा पर मिलता है, उसके पश्चात् राजस्व ग्राम गनेरी, अतरकुआ, बनियगांव, मानिकपुर एवं उमरडीह की दक्षिणी सीमाओं तक ।	उत्तर - वनग्राम किकरा के निकट से नाई बहन नाले के अनुदिश जहाँ पर मण्डला-बिल्पी राष्ट्रीय राज मार्ग इस नाले को पार करता है, उसके पश्चात् मण्डला की ओर जाते बाला घाट-बिल्पी राष्ट्रीय राज मार्ग जहाँ पर कि वह राजस्व ग्राम किकरा के निकट, मण्डला-बिल्पी राष्ट्रीय राज मार्ग जहाँ पर कि वह राजस्व ग्राम किकरा के निकट, बालाघाट-मण्डला जिलों की अंतर्जिला सीमा से मिलता है, तत्पश्चात् मण्डला-बालाघाट अंतर्जिला सीमा बना कि यह राजस्व ग्राम करंजिया, जिला मण्डला में हात्तान नदी में मिलती है, उसके पश्चात् मण्डला जिले में राजस्व ग्राम करंजिया एवं सिझौरा की उत्तरी सीमाएँ, फिर ग्राम गुनेरा, नेवसा और डुगरिया की दक्षिणी सीमाएँ, उसके उपरान्त राजस्व ग्राम मांझीपुर, सरही, कटनी, टकटौआ, मोहगांव एवं मवाला की उत्तरी सीमाएँ, फिर राजस्व ग्राम कटनी और घोंट की दक्षिणी सीमाएँ, तत्पश्चात् राजस्व ग्राम मगधा की उत्तरी एवं पश्चिम सीमाएँ जहाँ पर कि यह सुलकुम (सुपुण) नदी में मिलती है, फिर सुलकुम (सुपुण) नदी के अनुदिश उसके नाला नाले के साथ संगम तक, उसके पश्चात् माला नाला जहाँ पर कि यह वनग्राम समैया-नागपुर की उत्तरी सीमा पर मिलता है, उसके पश्चात् राजस्व ग्राम गनेरी, अतरकुआ, बनियगांव, मानिकपुर एवं उमरडीह की दक्षिणी सीमाओं तक ।	पूर्व - मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा, तत्पश्चात् मण्डला जिले में फेन नदी के अनुदिश उसके किकरा वनग्राम के निकट नाई बहन नाले में मिलने तक	दक्षिण - राजस्व ग्राम नारना तथा धकुआर के उत्तरी भाग में स्थित

<p>मण्डला-बालाघाट जिला की अंतर्जिला सीमा, तत्पश्चात् कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिम एवं उत्तरी सीमाएँ।</p>	<p>साथ संगम तक, उसके पश्चात् नाला जहाँ पर यह वनग्राम संमया-भागपुर की उत्तरी सीमा पर मिलता है, उसके पश्चात् राजस्व ग्राम गनैरी, अतरगुआ, वनियागांव, मातिकपुर एवं उमरडीह की दक्षिणी सीमाओं तक।</p>	<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम उमरडीह से राजस्व ग्राम छिछारी, चरगांव, अरीली और तिलरी की पूर्वी सीमाओं तक जहाँ पर यह बंजर नदी से मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश जहाँ पर कि यह मण्डला और बालाघाट जिलों की अंतर्जिला सीमा की बालाघाट जिले के राजस्व ग्राम खैरताजी के निकट पार करता है।</p>	<p>पूर्व - मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा तत्पश्चात् मण्डला जिले में फेन नदी के अनुदिश उसके किनारे बनग्राम के निकट नाई बहन नाल में मिलने तक।</p>
<p>उत्तर - कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा, तत्पश्चात् धनवार एवं नारना राजस्व ग्रामों की उत्तरी सीमा पर स्थित बालाघाट-मण्डला जिलों की अंतर्जिला सीमा जहाँ यह बंजर नदी में मिलती है।</p>	<p>दक्षिण - राजस्व ग्राम कोहका से विल्पी की ओर जाने वाले बेंहर-चिल्पी मार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम बम्हनी तक, तत्पश्चात् राजस्व ग्राम बम्हनी, भारवा, गुदमा तथा भीमा की दक्षिणी सीमाएँ, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर नदी एवं जमुनिया नाले के संगम तक, तत्पश्चात् पूर्व की ओर जाने वाले जमुनिया नाला जहाँ पर कि यह कवर्धा जिले के बरबसपुर राजस्व ग्राम के निकट मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा में मिलता है।</p>	<p>पश्चिम - खैरताजी राजस्व ग्राम के निकट जहाँ बंजर नदी बालाघाट- मण्डला जिलों की अंतर्जिला सीमा में मिलती है वहाँ से बंजर नदी के अनुदिश बंजर तथा तन्नीर नदियों के संगम तक, तत्पश्चात् तन्नीर नदी के अनुदिश जहाँ पर बेंहर-चिल्पी मार्ग राजस्व ग्राम कोहका के निकट तन्नीर नदी को पार करता है।</p>	<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम उमरडीह से राजस्व ग्राम छिछारी, चरगांव, अरीली और तिलरी की पूर्वी सीमाओं तक जहाँ पर यह बंजर नदी से मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर तथा तन्नीर नदियों के संगम तक, तत्पश्चात् तन्नीर नदी के अनुदिश बंजर तथा तन्नीर नदी के संगम तक, तत्पश्चात् तन्नीर नदी के अनुदिश जहाँ पर बेंहर-चिल्पी मार्ग राजस्व ग्राम कोहका के निकट तन्नीर नदी को पार करता है, तक।</p>
<p>2. मलाजखण्ड (बिहार)</p>	<p>4. खापा (बिहार)</p>	<p>5. समनापुर (मलाजखण्ड)</p>	<p>पूर्व - मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा।</p>


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



A. J. S. K. KISHORE

अपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, बर





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	कसबा	118.70	179.85	127.70	193.50
5	बड़ियाखेड़ी	92.15	139.60	99.15	150.25

क्र. 15-48-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93, 94(2), 95, 96, 97(1), 98(2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला-सीहोर के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम (3), (4), (5) तथा (6) को तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर को ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया गया है जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जाती है :—

क्रमांक	समूह एवं नगर का नाम	प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से निर्धारण मानक दर		प्रति 10 वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारण मानक दर	
		निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सेजावता	11.75	17.65	12.35	18.55

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सभाजीत यादव, उपसचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्र. एफ 25-17-08-दस-3.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ. 14-46-92-दस-दो, दिनांक 10 जनवरी 1995 द्वारा कान्हा टायगर रिजर्व के अन्तर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वनमण्डल एवं अधीनस्थ उपवनमण्डलों के गठन को घोषित करते हुये अधिसूचित किया गया था. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अधीनस्थ उप वनमण्डलों का पुनर्गठन नीचे दर्शाए अनुसार तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है. इस पुनर्गठन से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में अधिसूचित क्षेत्रफल एवं सीमाओं में कोई अंतर नहीं आवेगा :—

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	उप वनमंडल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम एवं मुख्यालय	उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यवृत्त, जबलपुर (कान्हा टायगर रिजर्व मण्डल).	मण्डला	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन) मुख्यालय	फेन अभ्यारण्य, उप वनमण्डल मुख्यालय	339.828	1. सूपखार 2. फेन अभ्यारण्य	उत्तरी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफरजोन वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं फेन अभ्यारण्य वन कोष्ठ क्र. 509 की उत्तरी सीमा, इसके बाद साजालगान वन ग्राम की उत्तरी सीमा जो कि वन कोष्ठ क्र. 508 (अ) और 507(ब) द्वारा बनती है. इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 507(अ) की उत्तरी सीमा फिर वनकोष्ठ क्र. 488 की पूर्वी सीमा, इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 488, 489, 471
	मण्डला	मण्डला	गढ़ी			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						की उत्तर सीमा, 492 की उत्तर-पश्चिम सीमा एवं 493, 494 की उत्तरी सीमा फिर वन कोष्ठ क्र. 494 की पश्चिमी सीमा इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 500 एवं 499 की उत्तरी सीमा.
						पूर्वी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफर जोन वन मंडल की पश्चिमी सीमा रेखा तथा फेन अभयारण्य के वन कोष्ठ क्र. 449, 492(अ), 510(अ), 509(अ) की पूर्वी सीमा जो मंडला एवं कवर्धा जिले की अन्तर सीमा रेखा बनाती है.
						दक्षिणी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफरजोन वनमंडल के मलाजखण्ड उप वनमंडल के समनापुर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा. फेन अभयारण्य की वन कोष्ठ क्र. 523, 520, 519, 517 एवं 516 जो दक्षिणी सीमा एवं वन कोष्ठ क्र. 514 की पश्चिमी सीमा फिर वनकोष्ठ क्र. 445, 446, 447, 450(अ) एवं 449 की दक्षिणी सीमा जहां तक कि वन कोष्ठ क्र. 449 की पूर्वी सीमा से मिलती है.
						पश्चिमी सीमा—प्रस्तावित हालोन उपवनमण्डल के भैसानघाट परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा सूपखार परिक्षेत्र के पश्चिमी सीमा रेखा से मिलती है, शेष बफर जोन वनमण्डल के समनापुर परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा रेखा एवं फेन अभयारण्य के वन कोष्ठ क्र. 499, 521, 523 की पश्चिमी सीमा रेखा.
			बंजर उप वन मण्डल मुख्यालय किसली	406.548	1. किसली 2. कान्हा 3. सरही	उत्तरी सीमा—बफर जोन वनमण्डल के सिझौरा उप वनमंडल के सिझौरा परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा. पूर्वी सीमा—बफर जोन वन मंडल की पश्चिमी सीमा रेखा, इसके बाद हालोन उप वनमंडल की पश्चिमी सीमा रेखा. दक्षिणी सीमा—प्रस्तावित हालोन उप वन मंडल के मुक्की परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा. पश्चिमी सीमा—बफर जोन वन मंडल के सिझौरा उप वन मंडल के खटिया परिक्षेत्र की पूर्वी रेखा.
			हालोन उप वन मण्डल मुख्यालय मुक्की	306.120	1. मुक्की 2. भैसानघाट	उत्तरी सीमा—बफर जोन वनमण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं प्रस्तावित बंजर उप वनमंडल के किसली एवं कान्हा परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा. पूर्वी सीमा—प्रस्तावित फेन उप वन मंडल की पश्चिमी सीमा रेखा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						दक्षिणी सीमा—बफर जोन वन मंडल के मलाजखण्ड उप वन मंडल के खापा एवं समनापुर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा.
						पश्चिमी सीमा—बफर जोन वन मंडल के सिझौरा उप वन मंडल के खटिया परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं मलाजखण्ड उप वन मंडल के खापा परिक्षेत्र की उत्तरी-पूर्वी सीमा रेखा.
				योग . . .	1052.496	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रतन पुरवार, सचिव.

वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति कान्हा टायगर रिजर्व, मण्डला (म.प्र.)

अनु. क्र.	वन मंडल का नाम	वर्तमान स्थिति				प्रस्तावित स्थिति				
		सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	वन मंडल का नाम	सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन वन मंडल), मण्डला.	बंजर	517.252 Sq.K.M.	1. किसली 2. कान्हा 3. फेन-अभ्यारण्य	138.955 267.593 110.704	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन वन मंडल), मण्डला.	बंजर	406.548	1. किसली 2. कान्हा 3. सरही	138.955 121.668 145.925
		हालोन	535.244 Sq.K.M.	1. सूपखार 2. भैसानघाट 3. मुक्की	229.124 173.119 133.001		फेन हालोन	339.828 306.120	1. फेन अभ्यारण्य 2. सूपखार 1. भैसानघाट 2. मुक्की	110.704 229.124 173.119 133.001
									योग . . .	1052.496

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्र. एफ-25-17-08-दस-3.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-17-08-दस-3, दिनांक 13 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 13th January 2009

No. F. 75-17-08-X-3.—Vide this department notification No. F. 14-46-92-Ten-Two, dated 10th January 1995, the constitution of the Kanha National Park Division and sub-divisions therein under the Kanha Tiger Reserve was declared and notified. The reorganization of the sub-divisions under the Kanha National Park is hereby notified with immediate effect. This reorganization will have no effect on the area and boundaries of the Kanha National Park notified earlier :—

Name of Circle	Name of District (Head-quarters)	Name of Division (Head-quarters)	Name of Sub-division (Head-quarters)	Area (In Sq.k.m.)	Name and Headquarters of Forest Ranges included	Description of Sub-divisional Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Central Circle, Jabalpur (Kanha Tiger Reserve, Mandla).	Mandla (Mandla)	Kanha National Park (Core Zone) (Mandla)	Phen Wildlife Sanctuary (Garhi)	339.828	1. Supkhar 2. Phen WLS	<p><b>Northern Boundary</b>—The southern boundary of the Garhi range of the Buffer Zone in the Supkhar range and the northern boundary of the compartment No. 509 of the Phen WLS, thereafter the northern boundary of the Sajalagan forest village formed by the compartment Nos. 508(A) &amp; 507(B). Then the northern boundary of the compartment No. 507(A), and the eastern boundary of compartment No. 488 thereafter the northern boundary of the compartment Nos. 488, 489, 471 the north-western boundary of the compartment No. 492 and the northern boundary of the compartment Nos. 493, 494, then the western boundary of the compartment No. 494, thereafter the northern boundaries of the compartment Nos. 500 &amp; 499.</p> <p><b>Eastern Boundary</b>—The western boundary of the Buffer Zone division in the Supkhar range and the eastern boundaries of the compartment Nos. 449, 492(A), 510(A), 509(A) of the Phen Wildlife Sanctuary that forms interdistrict boundary of the Mandla &amp; Kawardha districts.</p> <p><b>Southern Boundary</b>—The northern boundary of the Samnapur range of the Malanjhand sub-division under the Buffer Zone division in the Supkhar range. The southern boundary of the compartment Nos. 523, 520, 519, 517 &amp; 516, and the western boundary of the compartment No. 514, then the southern boundary of the compartment Nos. 445, 446, 447, 450(A) and 449 upto where it joins the eastern boundary of compartment No. 449.</p>

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Banjar 406.548 1. Kisli  
Sub-division 2. Kanha  
3. Sarhi  
Kisli

Halon 306.120 1. Mukki  
Sub-division 2. Bhaisan-  
Mukki ghat.

Total . . . 1052.496

**Western Boundary**—The eastern boundary of the Bhaisanghat range under the proposed halon sub-division, which meets the western boundary of Supkhar range, the eastern boundary of the Samnapur range in the rest of the Buffer Zone division and the western boundaries of the compartment Nos. 499, 521, 523.

**Northern Boundary**—The southern boundary of the Sijhora range of the Sijhora sub-division under the Buffer Zone division.

**Eastern Boundary**—The western boundary of the Buffer Zone division, thereafter the western boundary of the Halon sub-division.

**Southern Boundary**—The northern boundary of the Mukki range of the proposed Halon sub-division.

**Western Boundary**—The eastern boundary of the Khatia forest range of the Sijhora Sub-division of the Buffer Zone Division.

**Northern Boundary**—The southern boundary of the Garhi forest range of the Buffer Zone Division and the southern boundaries of the Kisli and Kanha ranges under the proposed Banjar Sub-division.

**Eastern Boundary**—The western boundary of the proposed Phen sub-division.

**Southern Boundary**—The northern boundary of the Khapa and Samnapur forest ranges of the Malanjkhanda Sub-division in the Buffer Zone Division.

**Western Boundary**—The southern boundary of the Khatia range of the Sijhora sub-division and the north-eastern boundary of the Khapa range of the Malanjkhanda sub-division in the Buffer Zone division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RATAN PURWAR, Dy. Secy.

## Present and proposed Situation Kanha Tiger Reserve, Mandla (M.P.)

Present Situation						Proposed Situation				
S.No.	Name of Division	Name of Included sub-division	Area (In Sq.Km.)	Name of the included Range	Area (In Sq.Km.)	Name of Division	Name of sub-division	Area (In Sq.Km.)	Name of the included Range	Area (In Sq.Km.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kanha National Park (Core Zone Division), Mandla.	Banjar	517.252 Sq.Km.	1. Kisli 2. Kanha 3. Phen Wildlife Sanctuary.	138.955 267.593 110.704	Kanha National Park (Core Zone Division), Mandla.	Banjar	406.548	1. Kisli 2. Kanha 3. Sarhi	138.955 121.668 145.925
		Halon	535.244 Sq.Km.	1. Supkhar 2. Bhaisanghat 3. Mukki	229.124 173.119 133.001		Phen Halon	339.828 306.120	1. Phen WLS 2. Supkhar 1. Bhaisanghat 2. Mukki	110.704 229.124 173.119 133.001
									Total	1052.496

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 3 जनवरी 2009

क्र. 01-एस.सी. 1-09.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-1999-4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है।

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 की कंडिका 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, उमाकांत उमराव, कलेक्टर, जिला छतरपुर वर्ष 2009 के लिये जिलान्तर्गत उनके नाम के समक्ष में दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	14-1-2009	बुधवार	मकर संक्रांति	
2	18-9-2009	शुक्रवार	पितृमोक्ष अमावस्या	
3	19-10-2009	सोमवार	भाईदूज (दीपावली)	

उमाकांत उमराव, कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. 312-स.व.लि.-2008.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गुलशन बामरा, कलेक्टर, बालाघाट वर्ष 2009 में जिला बालाघाट जिला के लिए निम्नांकित तिथियों को

स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्रमांक	त्यौहार का नाम	स्थानीय अवकाश दिनांक	दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मकर संक्रांति	14-01-2009	बुधवार
2	नारबोद	21-08-2009	शुक्रवार
3	भाईदूज	19-10-2009	सोमवार

यह अवकाश कोषालय/बैंकों पर लागू नहीं होगा।

गुलशन बामरा, कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय), जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 10 जनवरी 2009

क्र. फ-नि.सा.सा.वि.-2009-62-संशोधित अधिसूचना-क्र. 63-मण्डी निर्वाचन-2006.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), बुरहानपुर, कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करती हूँ :-

क्रमांक	नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दिनेश पंचार, खण्डवा.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा.	11(1) (ज)
2	श्रीमती कुसुमबाई जयराम, बम्बाड़ा.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा.	11(1) (ड)
3	श्री मोहन पुण्डलिक पाटील, निवारी रिटगांव.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा.	11(1) (झ)

करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)